



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122022-241392
CG-DL-E-24122022-241392

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 693]
No. 693]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2022/पौष 2, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2022/PAUSHA 2, 1944

रेल विकास निगम लिमिटेड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर 2022

संख्या: 2022–CPM/RVNL/PATNA/3rd Line/SEB-PTRU/Work Correspondence.—केंद्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (रेलवे संशोधित अधिनियम, 2008) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 क की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड में प्रकाशित रेल विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 2022–CPM/RVNL/PATNA/3rdLINE/SEB-PTRU/Work Correspondence की अधिसूचना नई दिल्ली तारीख 14 अगस्त 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है।) से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को बिहार राज्य के जिला औरंगाबाद तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण के विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, रख रखाव, प्रबंधन और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

उक्त अधिसूचना का सारांश उक्त अधिनियम धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में तारीख 25 अगस्त 2022 और हिन्दुस्तान टाइम्स 25 अगस्त 2022 में प्रकाशित किया गया था।

और, शून्य आपेक्ष प्राप्त हुए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया तथा अननुज्ञात किया गया और तदानुसार आदेश पारित किया गया।

उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) की उपधारा (1) के अनुसरण, में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह की केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अनन्य रूप से सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

बिहार राज्य में विशेष रेलवे परियोजना सोन नगर से गढ़वा रोड के बिच तीसरे रेलवे लाइन निर्माण के लिए औरंगाबाद जिले में आने वाली संरचना सहित या उसके बिना भूमिका संक्षिप्त विवरण।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								भूमि के मालिक	
क्रम संख्या	अंचल का नाम	ग्राम का नाम/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	जमीन की प्रकृति	खतियान के अनुसार	वर्तमान सर्वे के अनुसार
1	बारुण	बगहा-178	28	106	0.085	0.0344	कृषि	फिरंगी वो शंकर वो महाराज पेशरान परनाव बहिस्से बराबर कौम अहीर सा0-देह	दूधेश्वर सिंह, पिता-स्व0 जोखु सिंह, सा0-बगहा
2	बारुण	बगहा-178	28	114	0.090	0.03642	कृषि	फिरंगी वो शंकर वो महाराज पेशरान परनाव बहिस्से बराबर कौम अहीर सा0-देह	दूधेश्वर सिंह, पिता-स्व0 जोखु सिंह, सा0-बगहा
3	बारुण	बगहा-178	32	118	0.2100	0.08499	कृषि	बिलट वो जागा वो विशुनधारी पेशरान भूकन बहिस्से बराबरक कौम अहीर सा0-देह	रामबदन सिंह, पिता-चन्द्रदेव सिंह वो धनन्जय कुमार, पिता-स्व0 राजदेव सिंह वो रंजन कुमार, पिता-स्व0 महेंद्र कुमार सिंह सा0-बगहा
4	बारुण	बगहा-178	31	119	0.0600	0.02428	कृषि	बिरिक्ष वल्द मंगल कौम अहीर सा0-देह	गणेश सिंह पिता - स्व0 धुरा सिंह वो सुरेश सिंह पिता-स्व0 कामेश्वर सिंह सा0-बगहा
5	बारुण	बगहा-178	33	120	0.1450	0.05868	कृषि	रामटहल वल्द सोमारू कौम अहीर सा0-देह	अवधेश सिंह पिता- स्व0 रमण सिंह वो सौरभ कुमार पिता-स्व0 मधेश्वर सिंह सा0-बगहा
टोटल					0.59	0.23877			
1	बारुण	बिशुनपुर-206	7	139	0.2300	0.09307	कृषि	झौरी जोल्हा वल्द अब्दुल कौम जोलहा सा0-देह	कपिलदेव सिंह वो सूर्यदेव सिंह पिता-स्व0 शिवबालक सिंह सा0-बगहा वो जय किशुन सिंह वो बिशुन सिंह पिता- स्व0 नन्हक सिंह सा0-बिशुन
टोटल					0.2300	0.09307			
1	बारुण	तेंदुआ-179	26	215	0.02	0.00809	कृषि	गैर मजरूआ आम	
टोटल					0.0200	0.00809			

कृष्णा कुमार भार्गव, मुख्य परियोजना प्रबंधक
[विज्ञापन-III/4/असा./510/2022-23]

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2022

No: 2022-CPM/RVNL/PATNA/3rd Line/SEB-PTRU/Work Correspondence.—Whereas by the notification of the Rail Vikas Nigam Limited Notification No. 2022 CPM/RVNL/Patna/3rd line/SEB-PTRU/Work correspondence New Delhi Dated 14 August 2022 published in gazette of India, Extra Ordinary, PART III- Section 4 (hereafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20 (A) of the Railway Act,1989 (Railway Amendment Act 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, declared its

intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of special Railway project construction of Third Railway Line in the District of Aurangabad in the State of Bihar.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily newspaper Prabhat Khabar Dated 25 August 2022 and Hindustan Times 25 August 2022 under sub-section (4) of section 20 A of the said Act.

And, whereas, zero nos. of objections were received and the same have been considered/disallowed by the competent authority accordingly orders have been passed.

And, whereas in pursuance of sub-section (1) of section 20 (E) of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 (E) of the Railway Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose.

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

Brief description of the Land to be Acquired with or without structure falling within the Special Railway Project namely for construction of 3rd Railway line from Sonnagar to Garhwa Road in the District of Aurangabad in the State of Bihar.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sl. No.	Name of Anchal	Name of Village/ Thana No.	Khata No.	Plot No.	Area in Acre	Area in Hect.	Nature of Land	Name of Land Owner	
								As per Khataiyen	As per present Survey
1	Barun	Bagha - 178	28	106	0.085	0.0344	Agriculture	Firangi, Shankar, Maharaj Peshran Parnaw Bahisse Barabar kaum Ahir Sa - Deh	Dudheshwar Singh Father Late - Jokhu Singh Sa. - Bagaha
2	Barun	Bagha - 178	28	114	0.090	0.03642	Agriculture	Firangi, Shankar, Maharaj Peshran Parnaw Bahisse Barabar kaum Ahir Sa - Deh	Dudheshwar Singh Father Late - Jokhu Singh Sa - Bagaha
3	Barun	Bagha - 178	32	118	0.2100	0.08499	Agriculture	Bilat, jaga, vishundhari peshran, Bhukan bahisse bararak kaum ahir sa - Deh	Rambadan Singh, Chandradev Singh, Dhananjay Kumar Father - Late Rajdev Singh, Ranjan Kumar Father Late - Mahendra Kumar Singh Sa. - Bagaha
4	Barun	Bagha - 178	31	119	0.0600	0.02428	Agriculture	Biriksh Singh wald Mangal kaum Ahir Sa. - Deh	Ganesh Singh Father Late- Dhura Singh, Suresh Singh Father Late - Kameshwar Singh Sa. - Bagaha
5	Barun	Bagha - 178	33	120	0.1450	0.05868	Agriculture	Ramtahal Wald Somaru kaum, Ahir Sa. - Deh	Awadhesh Singh Father Late - Raman Singh and Saurabh Kumar Father Late - Madheshwar Singh Sa. - Bagha
Total					0.59	0.23877			
1	Barun	Bishunpur-206	7	139	0.2300	0.09307	Agriculture	Jhaori Jolha Vald Abdul kaum Jolha sa - Deh	Kapildev Singh, Suryadev Singh Father Late Shiv Balak Singh sa - Bagha, Jay Kishun Singh, Bishun singh Father Late Nanhak

									Singh sa – Bishun
Total					0.2300	0.09307			
1	Barun	Tendua - 179	26	215	0.02	0.00809	Agriculture	Gair Majorua Aam	-
Total					0.0200	0.00809			

KRISHNA KUMAR BHARGAVA, Chief Project Manager

[ADVT.-III/4/Exty./510/2022-23]